

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD**

No. 2017/NFR/12/1

New Delhi, dated 10/01/2017

The General Managers,
All Indian Railways

(Commercial Circular No. 1 of 2017)

Sub: Policy on Content on Demand

Preamble:

Hon'ble Minister of Railways had announced during the Railway Budget 2016-17 that "Although we enjoy the highest captive eyeballs in a railway system internationally, we earn less than 5% of our revenues through non-tariff sources. Many of the world railway systems generate 10% to 20% of their revenues from non-tariff sources. Over a period of the next five years, we will strive to reach this world average by monetizing assets and undertaking other revenue yielding activities."

Furthermore focusing on entertainment he announced "We propose to invite FM Radio stations for providing train borne entertainment by installing PA systems in trains".

Objective:

- The objective of this policy is to detail the various conditions to monetise entertainment based services on trains and stations

Main Features of the Policy:

Contract management

- RailTel shall be the nodal agency, responsible for floating the tender, awarding and managing the related contracts

- Railtel shall evaluate proposals on the basis of technical feasibility and generation of maximum financial revenue for the Indian Railways

Contract Tenure

- Indian Railways shall offer Content on Demand services contract for a tenure of ten years

Technology

- Entertainment services shall be provided through audio and video systems. The licensee/ service provider shall be permitted to use any technology available and will also be allowed to upgrade it at any time during the contract period
- Content on Demand video services should be made available on all personal devices and should support the prevalent technology/ mobile platforms

Provision of Internet Services

- Internet Services can be provided optionally by the selected service provider either free of cost, or on payment basis by the users.

Content on Demand Services on Trains and Stations

- The entertainment content on demand services shall be provided on the personal devices of passengers in all trains and stations in a phased manner, which shall be listed out in the Tender Document

Service Locations

- The licensee/ service provider will be allowed to provide streaming Audio and video content services on all trains

- The licensee/ service provider shall provide only video content services on stations. Audio streaming (Radio services) will not be permitted on stations.

Installation of Equipment

- The licensee/ service provider shall be responsible for installation of necessary equipment for delivering Content on Demand services and will bear the entire cost

Security of Equipment

- Indian Railways shall take feasible steps to ensure safety of the installed equipment. However, the licensee/ service provider shall be responsible for insuring all assets

Service Awareness

- Passengers shall be provided with digital/ physical brochures in order to create awareness of the availability of entertainment services on trains and stations
- Indian Railways will also make announcements on trains and on stations via Public Announcement (PA) systems (if PA system exists on the trains)

Paid and Free Content

- The licensee/ service provider shall provide video content in both paid and unpaid formats to the passengers
- The licensee/ service provider shall provide audio content free of cost to the passengers
- The licensee will provide a Digital payment system for paid content which will be required to be approved by RailTel.

Content Specifications

- The licensee/ service provider shall provide video and audio content services as per extant, relevant guidelines based on Government prescribed norms for public usage

- The licensee/ service provider shall provide only 'U', 'U/A', 'PG' rated video content. 'A' rated content shall not be permitted

Railway/ Government Information

- The licensee/ service provider shall allow free of cost dissemination of Railways and Government information via the content services provided
- The licensee/ service provider shall ensure content services technology and setup is capable to broadcast Railways or Government messages including live broadcast

Advertisement

- The licensee/ service provider shall promote advertisements through the content services provided, within the permissible limits as per relevant Ministry of I&B and Department of Electronics and Information Technology (DeITY) guidelines

Permitted Audio Levels and Timings

- Railtel shall prescribe the exact, permissible audio levels in Decibels in the Tender Document
- For audio services (Rail Radio) in trains, the licensee/ service provider shall follow the timings as per prescribed norms in order to avoid inconvenience to the passengers


Revenue Share

- A hybrid revenue share model shall be adopted. The licensee/ service provider shall quote a Fixed Minimum Guarantee. Revenue Share shall be fixed by Railtel and shall be laid out in the tender document
- The revenue share between Railway & Railtel from the Content on Demand/Rail Radio services shall be 85% for Ministry of Railway and 15% for Railtel (management/maintenance fees)
- The licensee/ service provider shall develop necessary software to track revenue generation. This system shall be monitored by Railtel

- Detailed conditions of the contract will be developed by RailTel which will in line with this policy circular.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

Kindly acknowledge the Receipt of this letter.



(Ranjan P. Thakur)

Executive Director (Traffic Commercial)
Non fare Revenue
Railway Board

No. 2017/NFR/12/1

New Delhi, dated 10/01/2017

Copy to: FA&CAO, All Indian Railways, for information & necessary action.



For Financial Commissioner,
Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. 2017/एनएफआर/12/1

नई दिल्ली, दिनांक 10/01/2017

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें

(2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 1)

विषय: मांग के आधार पर वस्तु से संबंधित नीति

प्रस्तावना:

माननीय रेल मंत्री ने रेल बजट 2016-17 के दौरान घोषणा की थी कि "यद्यपि भारतीय रेल के साथ वास्ता रखने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है, तथापि हम किराए से इतर स्रोतों के जरिए 5% से भी कम राजस्व अर्जित करते हैं। विश्व की बहुत सी रेल प्रणालियाँ किराए से इतर स्रोतों से 10% से 20% राजस्व अर्जित करती हैं। अगले 5 वर्षों की अवधि में, हम परिसंपत्तियों का मौद्रिकरण करके और राजस्व उपार्जक अन्य कार्यों से इस विश्व औसत को हासिल करने का प्रयास करेंगे।"

इसके अलावा, मनोरंजन पर ध्यान देते हुए उन्होंने घोषणा की कि "हम गाड़ियों में पीए सिस्टम संस्थापित करके गाड़ियों में मनोरंजन की व्यवस्था करने के लिए एफएम रेडियो स्टेशनों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव करते हैं।"

उद्देश्य:

- इस नीति का उद्देश्य गाड़ियों में और स्टेशनों पर मनोरंजन पर आधारित सेवाओं के मुद्रिकरण के लिए विभिन्न शर्तों का वर्णन करना है।

नीति की मुख्य विशेषताएं:

संविदा प्रबंधन

- रेलटेल नोडल एजेंसी होगी जो निविदा आमंत्रित करने, संविदा देने और संबंधित संविदाओं का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- रेलटेल तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगा और भारतीय रेलवे के लिए अधिकतम वित्तीय राजस्व का उपार्जन करेगा।

संविदा की अवधि

- भारतीय रेल दस वर्ष की अवधि के लिए मांग पर सामग्री सेवाओं की संविदा की पेशकश करेगी।

प्रौद्योगिकी

- मनोरंजन सेवाएं ऑडियो और वीडियो सिस्टम के माध्यम से दी जाएंगी। लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता को उपलब्ध किसी भी तकनीक का उपयोग करने की अनुमति होगी और उन्हें संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय उसे अपग्रेड करने की भी अनुमति दी जाएगी।
- मांग पर सामग्री की वीडियो सेवाएं सभी निजी यंत्रों पर मुहैया कराई जानी चाहिए और वे प्रचलित तकनीक/मोबाइल प्लेटफॉर्मों को सपोर्ट करनी चाहिए।

इंटरनेट सेवाओं का प्रावधान

- इंटरनेट सेवाएं ऐच्छिक रूप से चुनिंदा सेवा प्रदाता द्वारा निःशुल्क या यूजर द्वारा भुगतान के आधार पर मुहैया करायी जाएंगी।

गाड़ियों और स्टेशनों पर मांग पर सामग्री सेवाएं

- सभी गाड़ियों और स्टेशनों जिनकी सूची निविदा दस्तावेज में दी जाएगी, पर यात्रियों के निजी उपकरणों पर मांग किए जाने पर मनोरंजन सामग्री की सेवाएं चरणबद्ध रूप से मुहैया करायी जाएंगी।

सेवा स्थान

- लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता को सभी स्टेशनों पर ऑडियो एवं वीडियो सेवाएं चलाने की अनुमति दी जाएगी।
- लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता स्टेशनों पर केवल वीडियो सामग्री की सेवाएं मुहैया कराएंगे। स्टेशनों पर ऑडियो सेवाएं (रेडियो सेवाएं) देने की अनुमति नहीं होगी।

उपकरण स्थापित करना

- लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता मांग पर सामग्री देने की सेवा के लिए आवश्यक उपकरण स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह संपूर्ण लागत वहन करेगा।

उपकरण की सुरक्षा

भारतीय रेल स्थापित किए गए उपकरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाएगा। बहरहाल, सभी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता का होगा।

सेवा के संबंध में जानकारी

- यात्रियों को गाड़ियों और स्टेशनों पर मनोरंजन सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी देने के लिए डिजिटल/वास्तविक पुस्तिकाएं दी जाएंगी।

- भारतीय रेल जन उद्घोषणा प्रणाली (यदि गाड़ियों में जन उद्घोषणा प्रणाली उपलब्ध हो तो) के माध्यम से गाड़ियों में और स्टेशनों पर घोषणाएं भी कराएगा।

सशुल्क और निःशुल्क सामग्री

- लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता यात्रियों को सशुल्क और निःशुल्क दोनों विधियों से वीडियो सामग्री की व्यवस्था करेगा।
- लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता यात्रियों को ऑडियो सामग्री निःशुल्क मुहैया कराएगा।
- लाइसेंसधारी सशुल्क सामग्री के लिए डिजिटल भुगतान सिस्टम की व्यवस्था करेगा जिसे रेलटेल द्वारा अनुमोदन कराने की आवश्यकता होगी।

सामग्री की विशिष्टताएं

- लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता आम उपयोग के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर मौजूदा, संगत दिशा-निर्देशों के अनुसार वीडियो और ऑडियो सामग्री की सेवाएं मुहैया कराएगा।
- लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता केवल 'यू', 'यू/ए', 'पीजी' प्रमाणित वीडियो सामग्री ही मुहैया कराएगा। 'ए' प्रमाणित सामग्री की अनुमति नहीं होगी।

रेलवे/सरकारी सूचना

- लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता दी गई सामग्री सेवाओं के माध्यम से रेलवे और सरकार की सूचनाओं का निःशुल्क प्रसारण करने की अनुमति देगा।
- लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि सामग्री सेवाओं की तकनीक और व्यवस्था सीधे प्रसारण सहित रेलवे या सरकारी संवादों का प्रसारण करने में सक्षम है।

विज्ञापन

- लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (डीईआईटीवाई) के संगत दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुमेय सीमाओं के भीतर मुहैया कराई गई सामग्री सेवाओं के माध्यम से विज्ञापनों का प्रचार करेगा।

अनुमत ऑडियो लेवल और समय-अनुसूची

- रेलटेल निविदा दस्तावेज में डेसीबेल में सही-सही, अनुमेय ऑडियो स्तर निर्धारित करेगा।
- गाड़ियों में ऑडियो सेवाएं (रेल रेडियो) के लिए, लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता निर्धारित मानकों के अनुसार समय-अनुसूची का पालन करेगा ताकि यात्रियों को असुविधा न हो।

राजस्व की हिस्सेदारी

- मिश्रित राजस्व हिस्सेदारी मॉडल अपनाया जाएगा। लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता निश्चित न्यूनतम गारंटी प्रस्तुत करेगा। राजस्व की हिस्सेदारी रेलटेल द्वारा निर्धारित की जाएगी और उसे निविदा दस्तावेज में पेश किया जाएगा।
- मांग सामग्री/रेल रेडियो सेवाओं से प्राप्त राजस्व में रेलवे और रेलटेल के बीच हिस्सेदारी रेल मंत्रालय के लिए 85% और रेलटेल के लिए 15% (प्रबंधन/अनुरक्षण शुल्क) होगी।
- लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता रेलपथ राजस्व सृजन के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर का विकास करेगा। इस सिस्टम की निगरानी रेलटेल द्वारा की जाएगी।
- संविदा की विस्तृत शर्तें रेलटेल द्वारा तैयार की जाएंगी जो इस नीति संबंधी परिपत्र के अनुसार होंगी।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती दें।



(रंजन पी. ठाकुर)

कार्यपालक निदेशक(यातायात वाणिज्य)


गैर किराया राजस्व

रेलवे बोर्ड

सं. 2017/एनएफआर/12/1

नई दिल्ली, दिनांक 10/01/2017

प्रतिलिपि वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।



कृते वित्त आयुक्त

रेलवे बोर्ड